

डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)



संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / १७८१

दिनांक : ०१ - ०६ - २०२०

सेवा में

१. प्र०० जियु द्विवेदी, विभाग—होमसाइंस, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी।
२. डॉ० हजारी प्रसाद चौधरी, विभाग—अर्थशास्त्र, टी०ए०पी०जी० कालेज टाण्डा अम्बेडकरनगर।
३. डॉ०शेफाली सिंह प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय आलापुर, अम्बेडकरनगर।

—आचार्य
—विशेषज्ञ सदस्य
—सदस्य / संघिय

विषय:— भानुमती स्मारक महाविद्यालय, न्यू सार्किट हाउस, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में अतिरिक्त विषय शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्रकला, उर्दू एवं बी०ए०—सी गृहविज्ञान पाठ्यक्रम में स्ववित्तप्राप्तियोजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का काट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिंचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोशॉपी करायी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुमोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वाचित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्भिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योरत के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—

१. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
 २. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खत्तीनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिथति।
 ३. महाविद्यालय की भूमि के समरूप गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र संक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में संक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिथति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
 ४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, वया उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
 ५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवस्थित होने की रिथति में संरक्षित निकाय के संक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथति।
 ६. सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संरक्षा की विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित लैलेंस सीट अन्यथा की रिथति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 ७. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बवत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
 ८. मानकानुसार प्रामूल धनराशि जमा होने की रिथति।
 ९. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिथति।
 १०. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यूजी०सी० की धारा २४५ में पंजीकृत होने की रिथति।
 ११. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
 १२. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - f) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - g) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय/अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथति।
 - h) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथति।
 - i) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की रिथति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
 - j) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
१३. याचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - e) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
 - f) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथति।
 - g) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथति।



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- h) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति।
(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैरा लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आव्याह।
e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।

14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यू०पी०एस०,सी०पी०यू० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
15. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चबूतरीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुरक्षित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
17. सामूहिक नकल का आरोप न होने की स्थिति(प्रगाण संलग्न करें)।
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का हो एवं अग्निशमन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थाई) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/सचिव के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०डी० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-2-2014-16(15)/2012टी०सी० 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुँचकर निरीक्षण करें, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अंकित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साक्ष निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निरीक्षण को पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०ए०/डी०ए० एवं अन्य व्यय सम्बलित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा गहाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अंकित की जायें।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिकोण शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसचिव

- प्रतिलिपि-1.** प्रबन्धक/सचिव (भानमती स्मारक महाविद्यालय, न्यू सार्किट हाउस, अकबरपुर, अग्नेडकरनगर) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्बन्धी स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल के निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें जन्मथा की स्थिति में समस्त उत्तराधित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।
2. प्रोग्राम, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

and
उप-कुलसचिव